

XXVIII-(a)-1
Co-op. (H.)

पंजीयक कर प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सत्र १९६१) की धारा ८ के अन्तर्गत अधिनियम की धारा ९ के प्रत्यक्ष विवरणों का उपलब्ध कराया दीता है। इस समिति के पंजीयन के लिए दिया गया प्रार्थना-पत्र स्वीकृत कर दिया गया है। तथा अधिनियम की धारा ९ के प्रत्यक्ष, समिति के पंजीकृत उप-नियमों में विहित उपबन्धों के प्राधीन, उक्त समिति का पंजीयन किया गया है।

उप एवं द्वय


सदायक चूप समूह पंजीयन
सहकारी समितियां

दिनांक ३० अगस्त १९६१

पंजीयन क्रमांक ३१ आठ नं. प्रार्थना-पत्र / ५२०३

लोकलय :- जन पंजीयन गटवारी गंगापाई, दिल्ली

मध्यप्रदेश स्थानों



पंजीयन प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाओं, अधिनियम, १९६०
(क्रमांक १७ सन् १९६१) की धारा ७ के अन्तर्गत १९६१ वर्ष

समिति के पंजीयन के लिए इसा या प्रार्थना-पत्र दस्तीकारी का लिया गया है। यह
अधिनियम की धारा ७ के अन्तर्गत, उपनियमों परिवर्तन के अन्तर्गत दस्तीकारी का
के अधीन, उस समिति का पंजीयन दिया गया है। प्रार्थना दस्तीकारी का अधिनियम
अधिनियम १९६० की धारा १० के अन्तर्गत इस्थान की १९६१ वर्षीय संस्था
संस्था के दस्तीकारी के अधीन दिया जाता है।

दिनांक २८/११/१९६१

प्रार्थना दस्तीकारी का

पंजीयन
गंगापाई, दिल्ली
१९६१

२४/०३-८५

(35)

—१०२ लाइ—१०२

१३-(क)-४२
प्रमुख सचिव/५२

लाइ-१ (की)

जंतिम अवसर, एक पर्याय
कार्यवाही की जावेगी।

लाइ-२ (१) पर्याय

भारतीय स्टान्डर्डिंग बोर्ड का न्यून-मूल्यांकन लिंगारा, १९६५ के लियुल १ के उत्तराधि (१) के अन्तर्गत
विविध दृष्टिकोण का नियन्त्रण

प्राप्ति,

मांगी जाए ज्ञानितिप्राप्तियोगियों
अनुबन्ध द्वारा भिन्नता सह संरक्षण में
प्राप्तिरथ पूरा होना।

SIA एकार्थ नं० १८

विनय-विहार कालोनी
हैन्हार

कृपया एह दृष्टि है कि भारतीय स्टान्डर्डिंग बोर्ड (एलीट एली) की जाता छान्ति की उत्तराधि (१) के अन्तर्गत यह
प्रत्यावृत्त है कि इसार्वज कर्मांक २५६२ एली ८०.११.०२ के रूप में रीबद्धीपृष्ठ लिंगारा के अन्तर्गत
अन्योन्यी अन्योन्यी का अवधारण न्यून तथा उपरोक्त लिंगारा पर इष्ट शुल्क का अवधारण करने के लिये कार्यवाही की जावे।

(२) इन्स्टीट्यूट का वाकार न्यून तथा उपरोक्त लिंगारा पर इष्ट शुल्क के अवधारण करने के लिये कार्यवाही की जावे।

१६.४.०६

मे. —/१..... वजे दूसिंह/आगाहन में की जावेगी।

एता जिला न्यून योग्यता

जानी है कि इन्हीं पर भी

(२) आपसे एतद्विधारा पर अपेक्षा की जाती है कि आप यह दराने के लिए लिंगारा के उत्तराधि-संबंधित प्राप्तिरथ मूल्य
संख्यापूर्वक उपदर्शित किया जाया है। लिंगारा में अपनी जानीत्वादी, तथा अन्यायेन, यीँ कोई हो, सुविधा उत्तानेव के याव पर्यु
पादि कोई हो, सुनवाई की तारीख को अधीइस्तान्तरी के समझ प्रस्तुत करें और यह भी उपदर्शित करें कि इस याव कोई मार्गिक
तात्पर इने का पांडा करते हैं तथा सुनवाई के समय उपस्थित नहीं, यीँ याव अधीइस्तान्तरी के समझ उपयोगत होने के बा
उपदर्शित करने के लिए कि इस याव कोई मार्गिक या इसार्वजी शाव्य नहीं आवश्यक है देने की पांडा करते हैं एवं सुविधा
प्राप्तिरथों की उत्तराधि करने के इस अवसर के नाम उठाने में दृष्टि करते हैं तो आगे कोई और अवधारणान सही किया जावेगा
और उपलब्ध तर्जों के आकार नामत का निषिद्धारा कर दिया जावे।

प्राप्तिरथ—
ब्लायालय नुद्दिक संविधान

संघ—एता-जिला-संलग्निक—

विवि जाही तंत्रज्ञान इन्वीर प. ॥

Chm.
प्राप्तिरथ संघ संघ
प्राप्तिरथ (विवि) ॥

५५५/०३-०४

—१ लात—१-८

११-(८)-५२
कार्यवाही की जावेगी।

(36)

प्रातर-॥ (३)

निषेध ४ (३) विवरण

भारतीय स्थान (मानवादी) निवासों का अनु-सूचनांक निकाल, १९६५ में निषेध ४ के उल्लंघन (१) के अधीन निरीक्षण का प्रक्रम

"विनय विठ्ठल"

२०९, २१८, २१८ ३९, २२०, २२२

मौत,

मुंगीलाल्ला अच्छना नवसिंग तर्फ अध्यक्ष
अहुता छुह विद्वान् तह संस्कारक
प्राग्निरथ प्ररा इन्होंने

विनय विठ्ठल

विनय विठ्ठल कालोनी

कृपया यह दृष्टि में कि भारतीय स्थान निवास इन्होंने १९६३ का निषेध ४ के अनुसार अनुसंधान करने के बाबत एवं उनकी विवरण के अनुसार यह प्रस्तावित है कि इस्तावेज क्रमांक २५-६४ २०-०२ के रूप में राष्ट्रद्वीप विवरण के अनुसार इनके बाबत विवरण द्वारा दिया गया अनुसंधान का नाम अनुसन्धान सिवत पर है एवं यह का अध्यारण करने के तिरंगे कार्यवाही की जाए।

(२) अन्यान्य का आजार अनुसन्धान पर है एवं यह का नामकरण द्वारा दिया गया अनुसंधान की विवरण (वारीब)

..... एवं विनय विठ्ठल विनय विठ्ठल का नाम

मूल १२ वज्र दूरीम/आगाहन में की जावेगी। वारीब विठ्ठल इन्डोर व वा।

(३) आपसे एतदृश्याता यह अपेक्षा की जाती है कि आप यह विवाहिनी के तिए निवास में उल्लंघित सम्बंधियों का आजार मूल्य सम्बन्धीयक उपचारिता किया गया है। निवास में अपनी आपेक्षियाँ, रोपा अभ्यासदेन, यदि कोई हो, दूसंगत इस्तावेज के बाब यदि यदि कोई हो, युग्मार्झ की दूरीय को अपावरताकारी के अनुसन्धान करने और पहली विपरीता करने कि यह आप कोई मार्गिक स्थल दूने का बांधा करते हैं तथा सुनवाई के समय उपस्थित रहेंगे, यदि आप अधोइस्ताकारी के अनुसन्धान के अपरिवर्तित करने के तिए कि यह आप कोई मार्गिक या इस्तावेजी साहस्र योग्य आवश्यक हैं दूने की बांधा करते हैं एवं दूसंगत इस्तावेजों को अनुसन्धान करने के इस अवसर का साम बठाने में दूँक करते हैं तो आप कोई और अवश्य अनुसन्धान महीने किया जाएगा और उपर्युक्त तथ्यों के आजार नामसे का निषेधारा कर दिया जायगा।

प्रातर-..... एवं विनय विठ्ठल

..... एवं विनय विठ्ठल

..... एवं विनय विठ्ठल इन्डोर व वा।

विनय विठ्ठल

३५३